न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तेजाराम .... बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 136 LR .... मु.नं. 563 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
26/11/25	प्रार्थी तेजा राम पुत्र दानाराम, रूडमल पुत्र दानाराम जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम सेवद बड़ी पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 522 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टियां तेजाराम पुत्र दानाराम जाति जाट तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति जाट दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः तेजाराम पुत्र दानाराम जाति गुर्जर तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति गुर्जर है। ग्राम सेवद बड़ी पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 523 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टियां तेजाराम पुत्र दानाराम जाति धाबाई तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति धाबाई दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः तेजाराम पुत्र दानाराम जाति गुर्जर तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति गुर्जर है। अर्थात् उक्त दोनों प्रार्थीगणों की जाति गुर्जर है। इस संबंध में प्रार्थीगण के अलग–अलग प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र की प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण की जाति गुर्जर है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः तेजाराम पुत्र दानाराम जाति जाट तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति जाट/तेजाराम पुत्र दानाराम जाति धाबाई तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति धाबाई के स्थान पर तेजाराम पुत्र दानाराम जाति गुर्जर तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति गुर्जर दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3295 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सेवद बड़ी पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 522 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टियां तेजाराम पुत्र दानाराम जाति जाट तथा रूडमल पुत्र दानाराम के स्थान पर प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः तेजाराम पुत्र दानाराम जाति गुर्जर तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम सेवद बड़ी पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 523 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टियां तेजाराम पुत्र दानाराम जाति धाबाई तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति धाबाई के स्थान पर तेजाराम पुत्र दानाराम जाति गुर्जर तथा रूडमल पुत्र दानाराम जाति गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं [illegible] अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं [illegible]। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/[illegible] दिनांक [illegible] 2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का [illegible] अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा [illegible] आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
धोद, जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.28 16:29:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner